न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 96/2018

अनवान :

1. सुनील कुमार पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. हरिराम पुत्र मला जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- असल प्रतिवादी

2. वन्दना पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. सुमन पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : **वादी**
वकील श्री दीवानसिंह : **प्रतिवादी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शेरड़ा के खाता सं0 535/151 के खसरा सं0 192/1 की 0.7460 है0 खसरा सं0 486/1 की 0.9160 है0 771/1 की 2.1370 है0 खसरा सं0 818/1 की 0.4050 है0 खसरा सं0 850/1 की 2.2570 है0 कुल खसरा सं0 5 कुल क्षेत्रफल 6.4610 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार खाता सं0 536/1 के खसरा सं0 828/969 की 1.2650 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार खाता सं0 545/525 के खसरा सं0 817 की 6.1210 है0 खसरा सं0 819 की 9.5990 है0 खसरा सं0 820 की 10.2570 है0 खसरा सं0 821 की 3.7940 है0 में प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता मला से विरासतन में मिली थी। वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 के अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड में महज कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज है, जबकि प्रतिवादी सं0 1 बिना किसी जायज जरूरत के वाद भूमि को बेचान करने पर आमादा है, जबकि वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादीया सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने लोक अदालत

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुनील कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम शेरड़ा खाता सं0 545/525 व 536/151 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शेरड़ा सम्वत् 2051 प्रदर्श 2 व 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम शेरड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शेरड़ा सम्वत् 2051 प्रदर्श 2 व 3 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा मला वल्द उदमी के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में हरिराम के वारिसान में पत्नी दयावन्ती, एक पुत्र सुनिल कुमार, दो पुत्रियां वन्दना, सुमन होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम शेरड़ा के खाता सं0 535/151 के खसरा सं0 192/1 की 0.7460 है0, खसरा सं0 486/1 की 0.9160 है0, 771/1 की 2.1370 है0, खसरा सं0 818/1 की 0.4050 है0, खसरा सं0 850/1 की 2.2570 है0, कुल खसरा सं0 5 कुल क्षेत्रफल 6.4610 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार खाता सं0 536/151 के खसरा सं0 828/969 की 1.2650 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार खाता सं0 545/525 के खसरा सं0 817 की 6.1210 है0, खसरा सं0 819 की 9.5990 है0, खसरा सं0 820 की 10.2570 है0, खसरा सं0 821 की 3.7940 है0 कुल खसरा 4 में कुल रकबा 29.7710 है0 में प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है इस प्रकार कुल तीनों खातें में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 96/2018

अनवान :

1. सुनील कुमार पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. हरिराम पुत्र मला जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- असल प्रतिवादी

2. वन्दना पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. सुमन पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री दीवानसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम शेरड़ा के खाता सं0 535/151 के खसरा सं0 192/1 की 0.7460 है0, खसरा सं0 486/1 की 0.9160 है0, 771/1 की 2.1370 है0, खसरा सं0 818/1 की 0.4050 है0, खसरा सं0 850/1 की 2.2570 है0, कुल खसरा सं0 5 कुल क्षेत्रफल 6.4610 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार खाता सं0 536/151 के खसरा सं0 828/969 की 1.2650 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसी प्रकार खाता सं0 545/525 के खसरा सं0 817 की 6.1210 है0, खसरा सं0 819 की 9.5990 है0, खसरा सं0 820 की 10.2570 है0, खसरा सं0 821 की 3.7940 है0 कुल खसरा 4 में कुल रकबा 29.7710 है0 में प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है इस प्रकार कुल तीनों खातें में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-6-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़